Dr. Sunil Sharma

Advocate LL.B., LL.M., Ph.D.
2, Maruti Colony, Sanganer,
Jaipur-302029, Mobile : 9828377407

ADVOCATE

Land Search Report

I have personally examined documents and records of the property and after due consideration certify :

That I have examined the records at the office of **Sub Registrar - II^nd^, Registration & Stamps, Sanganer, Jaipur** for the past 20 years and found that the property is free from all sorts of encumbrances.

1. That the property stands in the name of **Smt. Nirmal Yadav W/o Shree Ashwini Kumar Yadav & Ajay Kumar Yadav S/o Vedprakash Yadav, Residential Address P. No. 2, Gijgarh Vihar, Hawa Sadak Jaipur, Rajasthan as per 90-B By JDA. & Registered Sale Deed.**
2. That the Property location is **Village Shriramjipura Urf Rampura, Tehsil- Sanganer, District Jaipur Khasara No. are 627, 628, 638, 640, 641 & 629** Total Rakba – 1.6682 Hectare **(16,682 Sq. Mt.) as per registered sale deed.**
3. That there are no claims of minors in the property.
4. That as per revenue record of 20 yrs. I certify that **Smt. Nirmal Yadav W/o Shree Ashwini Kumar Yadav & Ajay Kumar Yadav S/o Vedprakash Yadav, Residential Address P. No. 2, Gijgarh Vihar, Hawa Sadak Jaipur, Rajasthan** is presently selling rights of this property according to registered sale deed in favor of **Smt. Nirmal Yadav W/o Shree Ashwini Kumar Yadav & Ajay Kumar Yadav S/o Vedprakash Yadav, Residential Address P. No. 2, Gijgarh Vihar, Hawa Sadak Jaipur, Rajasthan.**
5. That **Smt. Nirmal Yadav W/o Shree Ashwini Kumar Yadav & Ajay Kumar Yadav S/o Vedprakash Yadav, Residential Address P. No. 2, Gijgarh Vihar, Hawa Sadak Jaipur, Rajasthan** is the authorized seller this property of these **Village Shriramjipura Urf Rampura, Tehsil- Sanganer, District Jaipur Khasara No. are 627, 628, 638, 640, 641 & 629** according to registered sale deed.
6. That there is no impediment for creating the mortgage.
7. **That according** registered sale deed in favoring the present selling rights of **Smt. Nirmal Yadav W/o Shree Ashwini Kumar Yadav & Ajay Kumar Yadav S/o Vedprakash Yadav, Residential Address P. No. 2, Gijgarh Vihar, Hawa Sadak Jaipur, Rajasthan** is clear and marketable and fit for accepting the same as security by way of mortgage.
8. That the property has not been acquired under land acquisition Act, 1894 and no notification giving the intention of the acquisition of the said property has been issued.

   It is certified that **Smt. Nirmal Yadav W/o Shree Ashwini Kumar Yadav & Ajay Kumar Yadav S/o Vedprakash Yadav, Residential Address P. No. 2, Gijgarh Vihar, Hawa Sadak Jaipur, Rajasthan** is presently **selling rights** of this property according to registered sale deed, for which this report is certified.

Details of the said property :

That the **Smt. Nirmal Yadav W/o Shree Ashwini Kumar Yadav & Ajay Kumar Yadav S/o Vedprakash Yadav, Residential Address P. No. 2, Gijgarh Vihar, Hawa Sadak Jaipur, Rajasthan** is absolute selling rights in possession of the said property according to registered sale deed. Total area of this land 1.6682 Hectare **(16,682 Sq. Meters)** which is situated is **Village Shriramjipura Urf Rampura Tehsil- Sanganer, District Jaipur,** revenue record **Sub Registrar - II^nd^, Registration & Stamps, Sanganer, Jaipur**

Enclosure :

1) Copy of Receipt GRN No. 0066262424 Dated 05/09/2022 for 20 years.
2) Copy Of Jamabandhi .
3) Copy of 90A for JDA, Jaipur.
4) Copy of Registered Sale Deed.

Dr. Sunil Sharma
Advocate

e-Challan

Registration and Stamps department

Government of Rajasthan

GRN: **0066262424** Payment Date: **05/09/2022 16:12:58**

Office Name: **SUB REGISTRAR-II REGISTRATION & STAMPS, SANGANER**

Location: SANGANER

Period: 01/04/2022-To-31/03/2023

S.No	Purpose/Budget Head Name	Amount (₹)
1	0030-02-800-01-00-अन्य प्राप्तियां	1000.00
	Commision(-):	0.00
	Total/NetAmount:	**1000.00**

One Thousand Rupees and Zero Paise Only

Payee Details:

Full Name: **DR.SUNIL SHARMA ADV.**	Tin/Actt.No./VehicleNo./Taxid :
Pan No.(If Applicable):	City(Pincode): Jaipur(302029)
Address:29, Gayatri Colony, Sanganer, Jaipur	Remarks:Land Search Report of 20 years Village Shriramjipura Urf Rampura tehsil Sanganer Jaipur Khasara No. are 627, 628, 638, 640, 641 and 629 As per 90 B.

Payment Details:

		Challan No. -	**0**
Bank:	SBIePAY(Credit/Debit Cards)	Bank CIN No:	**SBIN6626242405092022**
Date:	05/09/2022 16:12:58	Refrence No:	**2172589680729**

Computer generated copy on : ***05/09/2022*** ***Courtsy :*** ***https://Egras.rajasthan.gov.in***

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी जोन–11

प्रकरण संख्या : 28/2006

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 90 "ख" (3) राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णयः–

दिनांक 22.5.06

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्रीमती निर्मल यादव पत्नि श्री अश्विनी कुमार यादव, अजय कुमार यादव पुत्र श्री वैद प्रकाश यादव, निवासी मकान नं. 2, गीजगढ विहार, हवासडक, जयपुर द्वारा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बरान 627 रकबा 0.49 हैक्ट., ख.नं. 628 रकबा 0.30 हैक्ट., ख.नं. 638 रकबा 0.39 हैक्ट., ख.नं. 640 रकबा 0.74 हैक्ट., ख.नं. 641 रकबा 0.04 हैक्ट., ख.नं. 629 रकबा 0.35 हैक्ट. स्थित भूमि को आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाना चाहती हैं। प्रार्थना–पत्र के साथ शपथ–पत्र, क्षतिपूर्ति बंधक पत्र, समर्पणनामा, पटवार जमाबन्दी की नकल शामिल हैं। जो नोटेरी से प्रमाणित है। राज्य सरकार के अभिकर्ता तहसीलदार जोन–11 से उक्त भूमि के संबंध में रिपोर्ट ली गई उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बरान 627 रकबा 0.49 हैक्ट., ख.नं. 628 रकबा 0.30 हैक्ट., ख.नं. 638 रकबा 0.39 हैक्ट., ख.नं. 640 रकबा 0.74 हैक्ट., ख.नं. 641 रकबा 0.04 हैक्ट., किता 5 रकबा 1.96 हैक्ट. श्रीमती निर्मल यादव पत्नि श्री अश्विनी कुमार यादव निवासी मकान नं. 2, गीजगढ विहार, हवासडक, जयपुर एवं ख.नं. 629 रकबा 0.35 हैक्ट. किता 1 रकबा 0.35 हैक्ट. अजय कुमार यादव पुत्र श्री वैद प्रकाश यादव, निवासी मकान नं. 2, गीजगढ विहार, हवासडक, जयपुर की खातेदारी में दर्ज है। समर्पणकर्ता खातेदार ने उपस्थित होकर अपनी कृषि भूमि को समर्पण करना स्वीकार किया, उक्त समर्पणनामों के परिणामस्वरूप खातेदारी अधिकारो का पर्यवसान हो जाता हैं तथा धारा 90–ख (3) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की उप धारा (6) के तहत उक्त भूमि पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकार उत्पन्न होते हैं। उक्त समर्पणनामों के परिणामस्वरूप खातेदारी अधिकारो का पर्यवसान हो जाता हैं।

आवेदित भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त पश्चिम जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश कमांक:–प.–6(228)ज.वि.प्रा./अ.आ./प./टाउन/एनओसी/05/डी–48 दिनांक 9.5.2006 को जारी की गई है।

श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त पूर्व के आदेश कमांक एफ( ) ज.वि.प्रा./अ.आ./भू.यो./टाउनशिप/2005/डी–1242 दिनांक 09.8.2005 की पालना में समर्पणनामाओं में अंकित खसरानंबरान का दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका में दिनांक 11.05.2006 को कराया गया। प्रकाशन के बावजूद भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई ऐसी स्थिति में समर्पणनामा स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर के खसरा नम्बरान 627 रकबा 0.49 हैक्ट., ख.नं. 628 रकबा 0.30 हैक्ट., ख.नं. 638 रकबा 0.39 हैक्ट., ख.नं. 640 रकबा 0.74 हैक्ट., ख.नं. 641 रकबा 0.04 हैक्ट., किता 5 रकबा 1.96 हैक्ट. श्रीमती निर्मल यादव पत्नि श्री अश्विनी कुमार यादव निवासी मकान नं. 2, गीजगढ विहार, हवासडक, जयपुर एवं ख.नं. 629 रकबा 0.35 हैक्ट. किता 1 रकबा 0.35 हैक्ट. अजय कुमार यादव पुत्र श्री वैद प्रकाश यादव, निवासी मकान नं. 2, गीजगढ विहार, हवासडक, जयपुर के स्थान पर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम खातेदारी दर्ज की जावे । निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 22.5.06 को सुनाया गया ।

निर्णय की एक प्रति तहसीलदार सांगानेर को जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम नामान्तकरण दर्ज करने हेतु भेजी जावें।

उपायुक्त (...) ...
प्राधिकृत अधिकारी जोन–11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
जयपुर

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND

रु.1000 Rs.1000

राजस्थान RAJASTHAN J 022719

।। श्री ।।

विक्रय - पत्र :-

आज दिनांक 05 दिसम्बर सन् 2005 ईस्वी को यह विक्रयपत्र श्री रा चौधरी पुत्र स्वर्गीय श्री नारायण आयु 45 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम हा अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर,(निष्पादनकर्ता) बहैसियत मुख्त्यारआम श्री ग्यारसीलाल पुत्र श्री मन्नालाल जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर (विक्रेता),जिसे इस विक्रयपत्र में विक्रेता शब्द से सम्बोधित किया गया है,जिसमें विक्रेता श्री ग्यारसीलाल के समस्त स्थानापन्न,दायभागी एंव उत्तराधिकारी आदि सम्मिलित समझे जावेगे,की ओर से बहक श्री अजय कुमार यादव पुत्र श्री वेदप्रकाश यादव आयु 47 वर्ष जाति यादव निवासी 17-क-9 ज्योतिनगर,जयपुर जिला जयपुर,जिसे इस विक्रयपत्र में केता शब्द से सम्बोधित किया गया है,के हित में लेख्य किया गया है।

क्रमशः...2

उप पंजीयक

क्रमांक 2691 दिनांक 5/12/05

क्रेता का नाम अजय कुमार यादव

पिता/पति का नाम वेद प्रकाश यादव जाति यादव नि. जयपुर

मुद्रांक राशि 1000

विषय [illegible]

[illegible]

कविता दूलवाल

मुद्रांक विक्रेता

तहसील सांगानेर जयपुर

उप पंजीयक, सांगानेर जयपुर
SUB-REGISTRAR, SANGANER, JAIPUR

जोकि ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर क्षेत्र में कृषि भूमि खसरा नम्बर 629 रकबा 0.35 हैक्टयर है,स्थित है।उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी विक्रेता श्री ग्यारसीलाल के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है,तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण पर विक्रेता श्री ग्यारसीलाल स्वंय बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर,साझे व हिस्से के एकमात्र स्वामी के रूप में काबिज है तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण अथवा इसके किसी भी अंश व भाग को विक्रेता श्री ग्यारसीलाल ने आज तक किसी भी व्यक्ति या वित्तीय संस्था आदि के हक में रहन,विक्रय, दान,त्याग,बख्शीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं की है,तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि आज तक प्रत्येक प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी ऋण,भार,बन्धन, कर्जा,कुर्की,जमानत आदि से मुक्त है,तथा हर प्रकार के जन साधारण के झगडों व टंटों आदि से शुद्ध व पवित्र है।

यहकि विक्रेता श्री ग्यारसीलाल ने उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण को विक्रय आदि करने बाबत एक मुख्त्यारनामा आम निष्पादनकर्ता के हक में लेख्य किया है,उक्त मुख्त्यारनामा आम का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय सांगानेर प्रथम के यहां पर दिनांक 15.9.2005 को पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 21 पृष्ठ संख्या 49 क्रम संख्या 200500093। एंव अतिरिक्त पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 63 पृष्ठ संख्या 364 से 371 पर चस्पा किया गया है,जिसे विक्रेता श्री ग्यारसीलाल ने आज तक निरस्त नहीं कराया है,इस प्रकार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण को हर प्रकार से हस्तान्तरित आदि करने के समस्त अधिकार निष्पादनकर्ता स्वंय को प्राप्त है।

क्रमश....3

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

आज दिनांक 5 माह December सन् 2005 को 16:43 बजे
श्री / श्रीमती / सुश्री RAMSWROOP CHUDHARY(GPAH) पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री LATE NARYAN
उम्र 45 वर्ष, जाति JAT व्यवसाय BUSINESS
निवासी HAJYAWALA SANGNAER JAIPUR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, SANGANER-I
(2005012581)
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

रसीद नं0 2005013805 दिनांक 05/12/2005
पंजीयन शुल्क रू0 2100 /-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200 /-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0 /-
अन्य शुल्क रू0 0 /-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 15800 /-
कुल योग रू0 18100 /-

(2005012581) उप पंजीयक, SANGANER-I
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

यहकि विक्रेता श्री ग्यारसीलाल को वर्तमान में अपनी निजी व अन्य पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ती हेतु रूपयों की आवश्यकता है,अतएव निष्पादनकर्ता बहैसियत मुख्तयारआम अपनी स्वस्थ इन्द्रिय तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी अन्य व्यक्ति के दबाव व आग्रह के उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 629 रकबा 0.35 हैक्टयर सम्पूर्ण को बिना रखे किसी भी अंश व भाग के मय समस्त बौल,सौल,पानी,पूला,मेर, डोल,पेड,पौधें एंव समस्त कृषि हक खातेदारी,स्वत्वाधिकारों आदि सहित को मुवलिग रूपयां 2,10,000/- रूपयें दो लाख दस हजार रूपयों की एवज में क्रेता के हक में अन्तिम रूप से विक्रय करता है,अर्थात बेचता है,प्रतिफल विक्रय की सम्पूर्ण धनराशि निष्पादनकर्ता ने क्रेता से चूकती नकद प्राप्त करली है,जिसे निष्पादनकर्ता एतद् द्वारा प्राप्त करना स्वीकार करता है,अब प्रतिफल विक्रय की धनराशि में से कुछ भी धनराशि विक्रेता श्री ग्यारसीलाल को क्रेता से लेनी शेष नहीं रही है,तथा विक्रय की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण का कब्जा विक्रेता श्री ग्यारसीलाल ने क्रेता को मौके पर कानूनी रूप से व वास्तविक रूप से सौंप दिया है,तथा विक्रय की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण पर से अपना समस्त दखल व कब्जा हटाकर क्रेता को अपने समान एकमात्र स्वामी व काबिज बना दिया है,अब इस विक्रय की गई कृषि भूमि पर से विक्रेता श्री ग्यारसीलाल स्वंय का तथा उसके समस्त स्थानापन्नों,दायभागियों एंव उत्तराधिकारीयों आदि का कोई हक व सम्बन्ध नहीं रहा है,और न आगे भविष्य में रहेगा।

क्रमश.....4

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1-RAMSWROOP CHUDHARY(GPAH)/LATE NARYAN
Age:45, Caste-JAT
Ocu.-BUSINESS
R/O-HAJYAWALA SANGNAER JAIPUR

(And Claimant)
1-AJAY KUMAR YADAV/VED PRAKASH YADAV
Age:47, Caste-AHEER
Ocu.-BUSINESS
R/O-17-K-9 JYOTI NAGAR JAIPUR

ने लेख्यपत्र SALE DEED (CONVEYANCE DEED)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 210000 / – पूर्व में / मेरे
समक्ष / मे सें रू0 210000 / –पूर्व में
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री / श्रीमती / सुश्री RAJENDRA SHARMA
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री BADRINARYAN SHARMA उम्र 40 वर्ष
जाति BRAHMAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी SABJI MANDI SANGNAER JIAPUR

2. श्री / श्रीमती / सुश्री RAMAN KALIYA
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री M L KALIYA उम्र 42 वर्ष
जाति BRAHMAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी 4/143 MANSROVER JAIPUR ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2005012581) उप पंजीयक, SANGANER-I
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

Pending in Minute Book No. 2005011352 Dated : 05/12/2005

हस्ताक्षर उप पंजीयक, SANGANER-I

(2005012581)
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

SUB REGISTRAR, JAIPUR
उप पंजीयक जयपुर SUB REGISTRAR SANGANER JAIPUR

विक्रय की गई कृषि भूमि में विक्रेता श्री ग्यारसीलाल का अन्य कोई साझी व हिस्सेदार नहीं है,यदि कोई साझी व हिस्सेदार उत्पन्न होकर इस विक्रय के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई दावा अथवा विवाद आदि उत्पन्न करेगा तो इस विक्रय के विरूद्ध उत्पन्न प्रत्येक दावों व विवादों आदि का निपटारा,सुलटारा,चुकारा विक्रेता श्री ग्यारसीलाल स्वंय अपने धन व श्रम से करेगा और यदि इस विक्रय के विरूद्ध उत्पन्न किसी प्रकार की कोई दावेदारी अथवा विक्रेता श्री ग्यारसीलाल के स्वामित्व की किसी त्रुटि व दोष के फलस्वरूप विक्रय की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण अथवा इसका कोई अंश व भाग केता के कब्जे व अधिकार से निकल जावे तो केता को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह विक्रय की गई कृषि भूमि की बाजारू कीमत मय समस्त हानि व व्यय आदि सहित विक्रेता श्री ग्यारसीलाल की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लेवें,इस सम्बन्ध में विक्रेता श्री ग्यारसीलाल का कोई आक्षेप मान्य नहीं होगा।

विक्रय की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण का नामान्तरकरण निष्पादनकर्ता द्वारा केता के हक में राजस्व विभाग द्वारा नियमानूसार करा दिया जावेगा,अन्यथा केता स्वंय इस लेख्यपत्र के आधार पर अपने हक में करा लेवें,आज से केता विक्रय की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण पर एकमात्र स्वामी व काबिज वास्तविक रूप से हो गया है,तथा केता को विक्रय की गई कृषि भूमि पर समस्त मालिकाना अधिकार प्राप्त हो गये है,तथा केता को यह अधिकार है कि वह विक्रय की गई कृषि भूमि का स्वंय उपयोग करें,किसी अन्य के हक में विक्रय आदि करें,किसी अन्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करावें,समस्त सरकारी विभागों में अपना नाम अंकित करावें,तात्पर्य यहकि आज से केता इस विक्रय की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण पर एकमात्र स्थायी स्वामी के रूप में काबिज रहकर हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करें।विक्रयपत्र के निष्पादन सम्बन्धी समस्त व्ययभार केता ने स्वंय वहन किया है।

विक्रय की गई कृषि भूमि डिग्गी मालपुरा रोड से 2 कि0 मी0 दूर है,तथा लाखना सम्पर्क सडक से एक खेत छोड कर स्थित है,तथा भूमि मौके पर सिंचित है,तथा इसकी मालियत जरे कीमत विक्रयपत्र से अधिक नहीं है।फोटोस्टैट प्रति अस्पष्ट व अपठित होगी तो पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी

विक्रय की गई कृषि भूमि से सम्बन्धित यदि आज पूर्व का कोई ऋण,भार,लोन,पेनेल्टी, राजस्व आदि देय होगा तो उसकी अदायगी आदि की समस्त जिम्मेदारी विक्रेता स्वंय की होगी।

कमशः....5

Rm Lam [signature]

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विकय पत्र
की मालियत रूपये 210000
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 15800 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 2100 कुल रूपये 18100
जरिये रसीद संख्या 2005013805 दिनांक 05/12/2005
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 16800
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2005012581) उप पंजीयक, SANGANER-I
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

Release in Minute Book No. 2005011421 Dated : 08/12/2005

हस्ताक्षर उप पंजीयक, SANGANER-I
(2005012581)
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

आज दिनांक 08/12/2005 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 506
में पृष्ठ संख्या 186 क्रम संख्या 2005008681 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1631
के पृष्ठ संख्या 368 से 376 पर
चस्पा किया गया।

(2005012581) उप पंजीयक, SANGANER-I
(SALE DEED (CONVEYANCE DEED))

जयपुर ● SANGANER, SUB-REGIS

अतएव यह विक्रयपत्र निष्पादनकर्ता ने बहैसियत मुख्तयारआम अपनी निजी इच्छा व प्रसन्नता से एक मुद्रांक किमती 1,000/-रूपये व चार प्लेन पेपर पर बहक केता के हक में लेख्य कर दिया व मजमून विक्रयपत्र को पढ,सुन व समझ कर अपने हस्ताक्षरादि कर दिये सो प्रमाण रहे तथा समय पर काम आवें।इति।

लेख्य दिनांक :-05 दिसम्बर सन् 2005 ईस्वी।

हस्ताक्षर विकेता
(बहैसियत मुख्तयारआम)

साक्षी 1- राजेन्द्र
नाम राजेन्द्रशर्मा
पिता का नाम श्री काशीनारायणशर्मा
आयु 40 वर्ष
जाति ब्राह्मण
निवासी सब्जीमण्डी मालपुरासांगानेर

हस्ताक्षर केता

साक्षी 2-
नाम रमन मालिया
पिता का नाम श्री एम. एल. मालिया
आयु 32 वर्ष जाति ब्राह्मण
निवासी 4/143 मानसरोवर

प्रारूपकर्ता
कमल मोहन गुप्ता
प्रलेख लेखक तहसील सांगानेर
दर्ज रजिस्टर संख्या 1527 है।

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

उप पंजीयक, सांगानेर, जयपुर ● SUB-REGISTRAR, SANGANER, JAIPUR

पंजीयन–विभाग

सत्यमेव जयते

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

14 [illegible] 13

।।श्री।।

-: विक्रय - पत्र :-

आज दिनांक 05 दिसम्बर सन् 2005 ईस्वी को यह विक्रयपत्र श्री रामस[illegible] चौधरी पुत्र स्वर्गीय श्री नारायण आयु 45 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम हाज्यावाला अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर,(निष्पादनकर्ता) बहैसियत मुख्तयारआम श्रीमती कमलेश देवी पत्नि श्री अशोक मेहता जाति बागडा ब्राहम्ण निवासी ग्राम आशावाला तह[illegible] सांगानेर जिला जयपुर (विक्रेती),जिसे इस विक्रयपत्र में विक्रेती शब्द से सम्बोधित किया गया है,जिसमें विक्रेती श्रीमती कमलेश देवी के समस्त स्थानापन्न,दायभागी एंव उत्तराधिकारी आदि सम्मिलित समझे जावेगे,की ओर से बहक श्रीमती निर्मल यादव धर्मपत्नि श्री अश्विनी कुमार यादव आयु 40 वर्ष जाति यादव निवासी मकान नम्बर 2 गीजगढ विहार,हवा सडक जयपुर जिला जयपुर,जिसे इस विक्रयपत्र में क्रेती शब्द से सम्बोधित किया गया है,के हित में लेख्य किया गया है।

क्रमश....2

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

[illegible] 2693 [illegible] 5/12/05

[illegible] श्रीमति निर्मल यादव

[illegible] अश्विनी कुमार यादव पति यादव नि. जयपुर

[illegible] 1/5000

[illegible] रू. पत्र.

[signature]

[illegible]

[illegible]

[illegible] जयपुर

जोकि ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर क्षेत्र में कृषि भूमि खसरा नम्बर 627 रकबा 0.49 हैक्टयर,628 रकबा 0.30 हैक्टयर,638 रकबा 0.39 हैक्टयर,640 रकबा 0.74 हैक्टयर,641 रकबा 0.04 हैक्टयर कुल किता 5 खसरा नम्बरान का कुल रकबा 1.96 हैक्टयर है,स्थित है।उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण की खातेदारी विक्रेती श्रीमती कमलेश देवी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है,तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण पर विक्रेती श्रीमती कमलेश देवी स्वंय बिना किसी अन्य व्यक्ति के सीर,साझे व हिस्से के एकमात्र स्वामी के रूप में काबिज है तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण अथवा इसके किसी भी अंश व भाग को विक्रेती श्रीमती कमलेश देवी ने आज तक किसी भी व्यक्ति या वित्तीय संस्था आदि के हक में रहन,विक्रय, दान,त्याग,बख्शीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं की है,तथा उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि आज तक प्रत्येक प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी ऋण,भार,बन्धन, कर्जा,कुर्की,जमानत आदि से मुक्त है,तथा हर प्रकार के जन साधारण के झगडों व टंटों आदि से शुद्ध व पवित्र है।

यहकि विक्रेती श्रीमती कमलेश देवी ने उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण को विक्रय आदि करने बाबत एक मुख्तयारनामा आम निष्पादनकर्ता के हक में लेख्य किया है,उक्त मुख्तयारनामा आम का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय सांगानेर प्रथम के यहां पर दिनांक 14.10.2005 को पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 21 पृष्ठ संख्या 165 कम संख्या 2005001047 एंव अतिरिक्त पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 64 पृष्ठ संख्या 487 से 494 पर चस्पा किया गया है,जिसे विक्रेती श्रीमती कमलेश देवी ने आज तक निरस्त नहीं कराया है,इस प्रकार उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि सम्पूर्ण को हर प्रकार से हस्तान्तरित आदि करने के समस्त अधिकार निष्पादनकर्ता स्वंय को प्राप्त है।

क्रमशः....3

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

आज दिनांक 5 माह December सन् 2005 को 16:36 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री RAMSWROOP CHUDHARY(GPAH) पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LATE NARYAN
उम्र 45 वर्ष, जाति JAT व्यवसाय BUSINESS
निवासी HAJYAWALA SANGNAER JAIPUR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, SANGANER-I
(2005012579)
(Sale Deed for Female for Agr. Land (Conveyance deed))

रसीद नं0 2005013803 दिनांक 05/12/2005
पंजीयन शुल्क रू0 12650/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 64580/-
कुल योग रू0 77430/-

(2005012579) उप पंजीयक, SANGANER-I
(Sale Deed for Female for Agr. Land (Conveyance deed))

यहकि विक्रेती श्रीमती कमलेश देवी को वर्तमान में अपनी निजी व अन्य पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ती हेतु रूपयों की आवश्यकता है,अतएव निष्पादनकर्ता बहैसियत मुख्तयारआम अपनी स्वस्थ इन्द्रिय तथा स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी अन्य व्यक्ति के दबाव व आग्रह के उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 627 रकबा 0.49 हैक्टयर,628 रकबा 0.30 हैक्टयर,638 रकबा 0.39 हैक्टयरा,640 रकबा 0.74 हैक्टयर,641 रकबा 0.04 हैक्टयर कुल रकबा 1.96 हैक्टयर सम्पूर्ण को बिना रखे किसी भी अंश व भाग के मय समस्त बौल,सौल,पानी,पूला,मेर,डोल,पेड,पौधें एंव समस्त कृषि हक खातेदारी, स्वत्वाधिकारों आदि सहित को मुवलिग रूपयां 12,65,000/- रूपयें बारह लाख पैंसठ हजार रूपयों की एवज में क्रेती के हक में अन्तिम रूप से विक्रय करता है,अर्थात बेचता है,प्रतिफल विक्रय की सम्पूर्ण धनराशि निष्पादनकर्ता ने क्रेती से चूकती नकद प्राप्त करली है,जिसे निष्पादनकर्ता एतद् द्वारा प्राप्त करना स्वीकार करता है,अब प्रतिफल विक्रय की धनराशि में से कुछ भी धनराशि विक्रेती श्रीमती कमलेश देवी को क्रेती से लेनी शेष नहीं रही है,तथा विक्रय की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण का कब्जा विक्रेती श्रीमती कमलेश देवी ने क्रेती को मौके पर कानूनी रूप से व वास्तविक रूप से सौंप दिया है,तथा विक्रय की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण पर से अपना समस्त दखल व कब्जा हटाकर क्रेती को अपने समान एकमात्र स्वामी व काबिज बना दिया है,अब इस विक्रय की गई कृषि भूमि पर से विक्रेती श्रीमती कमलेश देवी स्वंय का तथा उसके समस्त स्थानापन्नों,दायभागियों एंव उत्तराधिकारीयों आदि का कोई हक व सम्बन्ध नहीं रहा है,और न आगे भविष्य में रहेगा।

क्रमश.....4

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
1-RAMSWROOP CHUDHARY(GPAH)/LATE NARYAN
Age:45, Caste-JAT
Ocu.-BUSINESS
R/O-HAJYAWALA SANGNAER JAIPUR

(And Claimant)
1-NIRMAL YADAV/ASHWANI KUMAR
Age:40, Caste-AHEER
Ocu.-HW
R/O-2 GEEJGAD HAWA SADAK JAIPUR

ने लेख्यपत्र Sale Deed for Female for Agr. Land (Conveyance deed)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 1265000/- पूर्व में/मेरे
समक्ष/मे सें रू0 1265000/--पूर्व में
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान

1. श्री/श्रीमती/सुश्री RAJENDRA SHARMA
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री BADRINARYAN SHARMA उम्र 40 वर्ष
जाति BRAHMAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी SABJI MANDI SANGNAER JAIPUR

2. श्री/श्रीमती/सुश्री RAMAN KALIYA
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री M L KALIYA उम्र 42 वर्ष
जाति BRAHMAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी 4/143 MANSROVER JAIPUR ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2005012579) उप पंजीयक, SANGANER-I
(Sale Deed for Female for Agr. Land (Conveyance deed))

Pending in Minute Book No. 2005011349 Dated : 05/12/2005

हस्ताक्षर उप पंजीयक, SANGANER-I
(2005012579)
(Sale Deed for Female for Agr. Land (Conveyance deed))

विक्रय की गई कृषि भूमि में विकेती श्रीमती कमलेश देवी का अन्य कोई साझी व हिस्सेदार नहीं है,यदि कोई साझी व हिस्सेदार उत्पन्न होकर इस विक्रय के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई दावा अथवा विवाद आदि उत्पन्न करेगा तो इस विक्रय के विरूद्ध उत्पन्न प्रत्येक दावों व विवादों आदि का निपटारा,सुलटारा,चुकारा विकेती श्रीमती कमलेश देवी स्वंय अपने धन व श्रम से करेगी और यदि इस विक्रय के विरूद्ध उत्पन्न किसी प्रकार की कोई दावेदारी अथवा विकेती श्रीमती कमलेश देवी के स्वामित्व की किसी त्रुटि व दोष के फलस्वरूप विक्रय की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण अथवा इसका कोई अंश व भाग केती के कब्जे व अधिकार से निकल जावे तो केती को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह विक्रय की गई कृषि भूमि की बाजारू कीमत मय समस्त हानि व व्यय आदि सहित विकेती श्रीमती कमलेश देवी की अन्य चल व अचल सम्पत्ति से जिस प्रकार चाहे वसूल कर लेवें,इस सम्बन्ध में विकेती श्रीमती कमलेश देवी का कोई आक्षेप मान्य नहीं होगा।

विक्रय की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण का नामान्तरकरण निष्पादनकर्ता द्वारा केती के हक में राजस्व विभाग द्वारा नियमानूसार करा दिया जावेगा,अन्यथा केती स्वंय इस लेख्यपत्र के आधार पर अपने हक में करा लेवें,आज से केती विक्रय की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण पर एकमात्र स्वामी व काबिज वास्तविक रूप से हो गई है,तथा केती को विक्रय की गई कृषि भूमि पर समस्त मालिकाना अधिकार प्राप्त हो गये है,तथा केती को यह अधिकार है कि वह विक्रय की गई कृषि भूमि का स्वंय उपयोग करें,किसी अन्य के हक में विक्रय आदि करें,किसी अन्य प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करावें,समस्त सरकारी विभागों में अपना नाम अंकित करावें,तात्पर्य यहकि आज से केती इस विक्रय की गई कृषि भूमि सम्पूर्ण पर एकमात्र स्थायी स्वामी के रूप में काबिज रहकर हर प्रकार से उपयोग व उपभोग करें।विक्रयपत्र के निष्पादन सम्बन्धी समस्त व्ययभार केती ने स्वंय वहन किया है।

विक्रय की गई कृषि भूमि डिग्गी मालपुरा रोड से 2 कि0 मी0 दूर है,तथा लाखना सम्पर्क सडक से एक खेत छोड कर स्थित है,तथा भूमि मौके पर सिंचित है,तथा इसकी मालियत जरे कीमत विक्रयपत्र से अधिक नहीं है।फोटोस्टैट प्रति अस्पष्ट व अपठित होगी तो पंजीयन एंव मुद्रांक विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी

विक्रय की गई कृषि भूमि से सम्बन्धित यदि आज पूर्व का कोई ऋण,भार,लोन,पेनेल्टी, राजस्व आदि देय होगा तो उसकी अदायगी आदि की समस्त जिम्मेदारी विकेती स्वंय की होगी।

Kmlesh Devi

कमशः....5

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 1389600
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 71430 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 13900 कुल रूपये 85530
जरिये रसीद संख्या 2005013803ए 2005013940 दिनांक 05/12/2005, 09/12/2005
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 76430
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2005012579) उप पंजीयक, SANGANER-I
(Sale Deed for Female for Agr. Land (Conveyance deed))

Release in Minute Book No. 2005011436 Dated : 09/12/2005

हस्ताक्षर उप पंजीयक, SANGANER-I
(2005012579)
(Sale Deed for Female for Agr. Land (Conveyance deed))

आज दिनांक 09/12/2005 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 506
में पृष्ठ संख्या 188 क्रम संख्या 2005008683 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1631
के पृष्ठ संख्या 386 से 394 पर
चस्पा किया गया।

(2005012579) उप पंजीयक, SANGANER-I
(Sale Deed for Female for Agr. Land (Conveyance deed))

| 15 | |

अतएव यह विक्रयपत्र निष्पादनकर्ता ने बहैसियत मुख्तयारआम अपनी निजी इच्छा व प्रसन्नता से एक मुद्रांक किमती 5,000/-रूपये व चार प्लेन पेपर पर बहक केती के हक में लेख्य कर दिया व मजमून विक्रयपत्र को पढ,सुन व समझ कर अपने हस्ताक्षरादि कर दिये सो प्रमाण रहे तथा समय पर काम आवें।इति।

लेख्य दिनांक :- 05 दिसम्बर सन् 2005 ईस्वी।

हस्ताक्षर विक्रेता
(बहैसियत मुख्तयारआम)

साक्षी 1- राजेन्द्र
नाम राजेन्द्र शर्मा
पिता का नाम श्री [illegible] शर्मा
आयु 40 वर्ष
जाति ब्राह्मण
निवासी [illegible]

हस्ताक्षर केती
AAFPY6659·N

साक्षी 2-
नाम रमन [illegible]
पिता का नाम श्री एस. एम. [illegible]
आयु 42 वर्ष जाति ब्राह्मण
निवासी 4/143 मालवीय नगर

प्रारूपकर्ता
कमल मोहन गुप्ता
प्रलेख लेखक तहसील सांगानेर
दर्ज रजिस्टर संख्या 1526 है।

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

उप पंजी. क्र. सांगानेर, जयपुर • JAIPUR • SUB-REGISTRAR, SANGANER

पंजीयन–विभाग

सत्यमेव जयते

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००रु. Rs 500

सत्यमेव जयते
भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

राजस्थान RAJASTHAN

043240

20 SEP 2005

राजस्थान

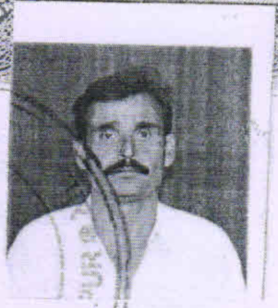

।।श्री।।

-: मुखत्यारनामा आम :-

मैं श्रीमती कमलेश देवी पत्नि श्री अशोक मेहता आयु 28 वर्ष जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी ग्राम आशावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान राज्य की रहने वाली हूं ।

जो कि ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नंबर 627 रकबा 0.49 हैक्टयर, खसरा नंबर 628 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नंबर 638 रकबा 0.39 हैक्टयर, खसरा नंबर 640 रकबा 0.74 हैक्टयर, खसरा नंबर 641 रकबा 0.04 हैक्टयर कुल किता 05 कुल रकबा 1.96 हैक्टयर भूमि स्थित है, जिसकी सम्पूर्ण की खातेदारी मेरे स्वयं के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिस पर मैं बहैसियत खातेदार बिना किसी सीर व साझे के काबिज स्वामी हूं, आज तक इस भूमि को मैंने किसी भी अन्य व्यक्ति के हक में रहन, बैय, बख्शीश आदि नहीं किया है, तथा ना ही किसी से अनुबन्ध, करार, सौदा आदि किया है, भूमि प्रत्येक प्रकार के झगडों, टंटो बकाया अवाप्ति आदि से मुक्त व साफ है, जिसको हर प्रकार से हस्तान्तरित आदि करने के अधिकार मुझ स्वयं को प्राप्त है।

क्रमशः...2...

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

कमलेश

क्र. सं. 25543 दिनांक 27/9/05

क्रेता का नाम .... कमलेश देवी

पिता/पति का नाम अशोक [illegible]

निवासी आराधना [illegible] सांगानेर

विषय [illegible]

मुद्रांक कीमत 500

शिव [illegible] चौधरी
(मुद्रांक विक्रेता)
शि.को.प. सांगानेर

यह कि मैं अपने अन्य कार्यो में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण उक्त वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में होने वाली समस्त कानूनी कार्यवाही एवं इसकी देखभाल आदि करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं अपनी ओर से अपने विश्वासी व हितैषी रामस्वरूप चौधरी पुत्र स्व. नारायण आयु 40 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम हाज्यावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान राज्य को अपना मुखत्यार आम (सर्वाधिकारी) नियुक्त करती हूं, तथा अधिकार देती हूं कि :-

1 यह कि जो कार्यवाही मैं स्वयं उक्त वर्णित कृषि भूमि के बाबत कर सकती हूं, उदाहरण के लिए दावा लगाना, जवाबदावा पेश करना, अपील करना, रिवीजन करना रिव्यू लगाना, अर्ज लगाना, किरकोल अर्ज लगाना सरकारी-गैर सरकारी कार्यालयों में जहां भी इस अधीन का कोई मसला खड़ा हो वहां हाजिर होना, बयान देना जवाबदेही करना, शपथ कथन देना, शपथ पत्र देना एवं पैरवाई वास्ते वकील, मुखत्यार, बैरिस्टर, एडवोकेट आदि नियुक्त करना ये सब कामकाज करने का अधिकार मेरे मुखत्यार आम (सर्वाधिकारी) को होगा ।

2 यह कि जहां-जहां मुझ को बयान देने की जरूरत हो वहां-वहां मेरी ओर से उक्त मुखत्यार आम मेरी बजाय अपनी उपस्थिति देकर बयान देवे व सरकारी गैर सरकारी खजानों में या दफ्तरों में कोई रकम जमा करानी पड़े तो उसे मेरी ओर से जमा कराने व रकम उठाने का मौका आवे तो मेरी ओर से रकम उठाने का हक मेरे मुखत्यार आम को होगा ।

3 यह कि उक्त मुखत्यारआम मेरी ओर से भूमि का बैचान तैय कर इकरारनामा, प्रतिज्ञा पत्र, आदि लिखकर निष्पादित करे, एडवांस राशि व चुकती राशि प्राप्त कर रसीद देवे, विधिवत् विकय पत्र लिखकर हस्ताक्षर करे, सब रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होकर विकय पत्र पेश कर बयान देवे, दस्तावेज का निष्पादित होना स्वीकार करे, समस्त लिखित, मौखिक कार्यवाही एवं पैरवी आदि समस्त कार्य करने का अधिकार मेरे मुखत्यार आम को होगा ।

कमशः...3.....

कमलेश

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

आज दिनांक 1 माह October सन् 2005 को 16:01 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री KAMLESH DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ASHOK KUMAR
उम्र 28 वर्ष, जाति BRAHMAN व्यवसाय H.W.
निवासी VILL ASHAWALA SANGANER JAIPUR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

कमलेश।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, SANGANER-I
(2005010604)
(Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood))

रसीद नं0 2005011609 दिनांक 01/10/2005
पंजीयन शुल्क रू0 100/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 23020/-
कुल योग रू0 23320/-

(2005010604) उप पंजीयक, SANGANER-I
(Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood))

4 यह कि मेरी ओर से उक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के हक में समर्पण करे, 90 बी की कार्यवाही करे, अनुमोदित करावे, नक्शे पास करावे, किसी भी प्रकार की अवाप्ति से मुक्त करावे, या अवाप्ति की मुआवजा राशि उठावे, भूमि के बदले के विकसित भूखण्ड प्राप्त करे, भूखण्डो का पट्टा प्राप्त करे, पट्टो का पंजीयन करावे, लीज डीड जारी करावे, राजस्थान आवासन मण्डल कार्यालय में हर प्रकार की कार्यवाही करे, यह सम्पूर्ण अधिकार मेरे मुख्तयार आम को होगा।

5 यह कि उक्त मुखत्यार आम मेरी ओर से आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय दीवानी, फौजदारी, रेवेन्यू आदि में उपस्थित होकर पैरवी करे ।

6 यह कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये अध्यादेश जैसे कृषि भूमि रूपान्तरण, नियमितिकरण, उप विभाजन इत्यादि के लिए मुखत्यार आम मेरी ओर से आवश्यक कार्यवाही करे, इस सम्बन्ध में मुखत्यार आम वांछित प्रार्थना पत्र, टिनेन्सी, रेवेन्यू, जे. डी. ए. एक्ट के अधीन स्वयं के हस्ताक्षर से पेश करे, भूमि रूपान्तरण राशि व अन्य राशियां जमा करावे तथा इससे सम्बन्धित सभी प्रकार की कार्यवाही पुरी करे ।

7 यह कि मुखत्यार आम के द्वारा किये गये सभी कार्य ऐसे माने जावेगें की जो मेरे स्वयं के द्वारा किये गये हो उक्त मुखत्यार आम द्वारा की गई समस्त लिखित व मौखिक कार्यवाही मेरे स्वयं के द्वारा की गई के समान स्वीकार व अंगीकर होगी ।

8 यह कि भूमि पर भौतिक कब्जा मेरा ही है, मुख्तयार आम परिर्वतनीय है, तथा निष्पादन की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा ।

9 यह कि उक्त भूमि डिग्गी–मालपुरा रोड से करीबन 02 किलोमीटर दूर व लाखना रोड से किलोमीटर दूर स्थित है, तथा भूमि चाही किस्म की है ।

कमश....4....

कमलेश

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1-KAMLESH DEVI /ASHOK KUMAR
Age:28, Caste-BRAHMAN
Ocu.-H.W.
R/O-VILL ASHAWALA SANGANER JAIPUR

(And Claimant)
1-RAM SWROOP CHODHARY /LATE NARAYAN LAL
Age:40, Caste-JAT
Ocu.-BUSINESS
R/O-VILL HAJYA WALA SANGANER JAIPUR

ने लेख्यपत्र Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 ———— पूर्व में / मेरे
समक्ष / मे सें रू0 ———— पूर्व में ————
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री / श्रीमती / सुश्री MAHESH KUMAR
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री VIJAY NARAYAN उम्र 25 वर्ष
जाति BRAHMAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी VILL GONER SANGANER JAIPUR

2. श्री / श्रीमती / सुश्री BABU LAL SHARMA
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री RAM KARAN उम्र 40 वर्ष
जाति BRAHMAN व्यवसाय BUSINESS
निवासी VILL SHRI RAM PURA SANGANER JAIPUR ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2005010604) उप पंजीयक, SANGANER-I
(Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood))

Pending in Minute Book No. 2005009688 Dated : 01/10/2005

हस्ताक्षर उप पंजीयक, SANGANER-I
(2005010604)
(Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood))

अतएव यह मुखत्यारनामा आम मैंने अपनी निजी इच्छा एवं प्रशन्नता से बिना किसी व्यक्ति के दबाव या आग्रह के बिना किसी मादक वस्तु का सेवन किये स्टाम्प किता एक कीमती 500/–रूपये व तीन पेपर कुल किता चार पर बहक मुखत्यार आम लेख्य करवा दिया, और वर्णित ईबारत को भली प्रकार से पढ़कर, सुनकर, समझकर, सही स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर निम्न गवाहान् की उपस्थिति में कर दिये की प्रमाण रहे और समय पर काम आवे इति, लेख्य दिनांक 29 सितम्बर सन् 2005 ईस्वी ।

कमलेश

रामकरण
हस्ताक्षर मुखत्यार आम

हस्ताक्षर निष्पादिका

1 गवाह :– महेश S/o विजय नारायण जाति बा० ब्रा० उम्र 25 वर्ष
निवासी ग्राम कैनेर, त० सांगानेर

बाबूलाल शर्मा गवाह :– बाबूलाल S/o रामकरण जाति बा० ब्रा० उम्र 40 वर्ष
निवासी ग्राम श्रीरामपुरा, त० सांगानेर

प्रारूपकर्ता :– गोपाल चौधरी प्रलेख लेखक
तहसील सांगानेर दर्ज रजि0 कमांक 1539 है ।

गोपाल चौधरी
प्रलेख लेखक

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 1264800
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 24800 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 100 कुल रूपये 25100
ज़रिये रसीद संख्या 2005011609ए 2005011959 दिनांक 01/10/2005, 14/10/2005
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 25300
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2005010604) उप पंजीयक, SANGANER-I
(Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood))

Release in Minute Book No. 2005009970 Dated : 14/10/2005

हस्ताक्षर उप पंजीयक, SANGANER-I
(2005010604)
(Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood))

आज दिनांक 14/10/2005 को
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 21
में पृष्ठ संख्या 165 क्रम संख्या 2005001047 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 64
के पृष्ठ संख्या 487 से 494 पर
चस्पा किया गया।

(2005010604) उप पंजीयक, SANGANER-I
(Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood))

500 Rs

INDIA NON JUDICIAL

।।श्री।।

-: मुख्त्यारनामा आम :-

मैं ग्यारसीलाल पुत्र म[illegible]लाल आयु 70 वर्ष जाति बागड़ा ब्राह्मण निवासी ग्राम श्रीरामपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान राज्य का रहने वाला हूं ।

जो कि ग्राम श्रीरामपुरा पटवार हल्का लाखना अन्तर्गत तहसील सांगानेर जिला जयपुर में कृषि भूमि खसरा नंबर 629 रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि स्थित है जिसकी सम्पूर्ण की खातेदारी मेरे नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिस पर मैं बहैसियत खातेदार बिना किसी सीर व साझे के काबिज स्वामी हूं, आज तक इस भूमि को मैंने किसी भी अन्य व्यक्ति के हक में रहन, बैय, बख्शीश आदि नहीं किया है, तथा ना ही किसी से अनुबन्ध, करार, सौदा आदि किया है, भूमि प्रत्येक प्रकार के झगडों तथा बकाया अवाप्ति आदि से मुक्त व साफ है, जिसको हर प्रकार से हस्तान्तरित आदि करने के अधिकार मुझ स्वयं को प्राप्त है।

क्रमश...2...

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

क्र. सं. 1982 दिनांक 02-9-2005

क्रेता का नाम [illegible]

पिता का नाम मन्नालाल जाति [illegible]

पता ग्राम श्री[illegible]पुरा, त० सांगानेर

विषय मु० नामा आम

मुद्रांक कीमत 5000

शिव चन्द चौधरी
(मुद्रांक विक्रेता)
सि.को.प. सांगानेर

यह कि मैं अपने अन्य कार्यो में अत्यधिक व्यस्त रहने के कारण उक्त वर्णित कृषि भूमि के सम्बन्ध में होने वाली समस्त कानूनी कार्यवाही एवं इसकी देखभाल आदि करने में असमर्थ हूं, इसलिए मैं अपनी ओर से अपने विश्वासी व हितेषी रामस्वरूप चौधरी पुत्र स्व. नारायण आयु 40 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम हाज्यावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान राज्य को अपना मुखत्यार आम (सर्वाधिकारी) नियुक्त करता हूं, तथा अधिकार देता हूं कि :–

1 यह कि जो कार्यवाही मैं स्वयं उक्त वर्णित कृषि भूमि के बाबत कर सकता हूं, उदाहरण के लिए दावा लगाना, जवाबदावा पेश करना, अपील करना, रिवीजन करना रिव्यू लगाना, अर्ज लगाना, किरकोल अर्ज लगाना सरकारी–गैर सरकारी कार्यालयों में जहां भी इस अधीन का कोई मसला खड़ा हो वहां हाजिर होना, बयान देना जवाबदेही करना, शपथ कथन देना, शपथ पत्र देना एवं पैरवाई वास्ते वकील, मुखत्यार, बैरिस्टर, एडवोकेट आदि नियुक्त करना ये सब कामकाज करने का अधिकार मेरे मुखत्यार आम (सर्वाधिकारी) को होगा ।

2 यह कि जहां–जहां मुझ को बयान देने की जरूरत हो वहां–वहां मेरी ओर से उक्त मुखत्यार आम मेरी बजाय अपनी उपस्थिति देकर बयान देवे व सरकारी गैर सरकारी खजानों में या दफ्तरों में कोई रकम जमा करानी पड़े तो उसे मेरी ओर से जमा कराने व रकम उठाने का मौका आवे तो मेरी ओर से रकम उठाने का हक मेरे मुखत्यार आम को होगा ।

3 यह कि उक्त मुखत्यारआम मेरी ओर से भूमि का बैचान तैय कर इकरारनामा, प्रतिज्ञा पत्र, आदि लिखकर निष्पादित करे, एडवांस राशि व चुकती राशि प्राप्त कर रसीद देवे, विधिवत् विकय पत्र लिखकर हस्ताक्षर करे, सब रजिस्ट्रार के समक्ष उपस्थित होकर विकय पत्र पेश कर बयान देवें, दस्तावेज का निष्पादित होना स्वीकार करे, समस्त लिखित, मौखिक कार्यवाही एवं पैरवी आदि समस्त कार्य करने का अधिकार मेरे मुखत्यार आम को होगा ।

कमशः...3...

आज दिनांक 6 माह September सन् 2005 को 12:52 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री GYARSI LAL पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MANNA LAL
उम्र 70 वर्ष, जाति BRAHMAN व्यवसाय AKRISHI
निवासी SRIRAMPURA SANGNAER JAIPUR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, SANGANER-I
(2005009680)
(Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood))

रसीद नं0 2005010556 दिनांक 06/09/2005
पंजीयन शुल्क रू0 100/-
प्रतिलिपि शुल्क रू0 200/-
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/-
अन्य शुल्क रू0 0/-
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 3700/-
कुल योग रू0 4000/-

(2005009680) उप पंजीयक, SANGANER-I
(Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood))

4 यह कि मेरी ओर से उक्त भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के हक में समर्पण करे, 90 बी की कार्यवाही करे, अनुमोदित करावे, नक्शे पास करावे, किसी भी प्रकार की अवाप्ति से मुक्त करावे, या अवाप्ति की मुआवजा राशि उठावे, भूमि के बदले 15 प्रतिशत के विकसित भूखण्ड प्राप्त करे, भूखण्डो का पट्टा प्राप्त करे, पट्टो का पंजीयन करावे, लीज डीड जारी करावे, राजस्थान आवासन मण्डल कार्यालय में हर प्रकार की कार्यवाही करे, यह सम्पूर्ण अधिकार मेरे मुख्तयार आम को होगा।

5 यह कि उक्त मुखत्यार आम मेरी ओर से आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय दीवानी, फौजदारी, रेवेन्यू आदि में उपस्थित होकर पैरवी करे ।

6 यह कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये अध्यादेश जैसे कृषि भूमि रूपान्तरण, नियमितिकरण, उप विभाजन इत्यादि के लिए मुखत्यार आम मेरी ओर से आवश्यक कार्यवाही करे, इस सम्बन्ध में मुखत्यार आम वांछित प्रार्थना पत्र, टिनेन्सी, रेवेन्यू, जे. डी. ए. एक्ट के अधीन स्वयं के हस्ताक्षर से पेश करे, भूमि रूपान्तरण राशि व अन्य राशियां जमा करावे तथा इससे सम्बन्धित सभी प्रकार की कार्यवाही पुरी करे ।

7 यह कि मुखत्यार आम के द्वारा किये गये सभी कार्य ऐसे माने जावेगें की जो मेरे स्वयं के द्वारा किये गये हो उक्त मुखत्यार आम द्वारा की गई समस्त लिखित व मौखिक कार्यवाही मेरे स्वयं के द्वारा की गई के समान स्वीकार व अंगीकर होगी ।

8 यह कि भूमि पर भौतिक कब्जा मेरा ही है, मुख्तयार आम परिर्वतनीय है, तथा निष्पादन की तिथि से 03 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा ।

9 यह कि भूमि डिग्गी–मालपुरा रोड से करीबन 02 किलोमीटर दूर व लाखना रोड से 01 खेत छोडकर पीछे स्थित है, तथा भूमि चाही किस्म की है ।

कमशः...4...

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री / श्रीमती / सुश्री (Executant)
1-GYARSI LAL/MANNA LAL
Age:70, Caste-BRAHMAN
Ocu.-AKRISHI
R/O-SRIRAMPURA SANGNAER JAIPUR

(And Claimant)
1-RAMSWROOP CHUDHARY/LATE NARYAN
Age:40, Caste-JAT
Ocu.-BUSIENSS
R/O-HAJYAWALA SANGNAER JAIPUR

ने लेख्यपत्र Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood) को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 ———— पूर्व में / मेरे
समक्ष / मे सें रू0 ———— पूर्व में ————
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री / श्रीमती / सुश्री BABULAL
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री RAMKARAN उम्र 48 वर्ष
जाति BRAHMAN व्यवसाय KRISHI
निवासी RAMPURA SANGNAER JAIPUR

2. श्री / श्रीमती / सुश्री KHEM CHAND
पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री RAMSWROOP उम्र 25 वर्ष
जाति JAT व्यवसाय KRSIHI
निवासी HAJYAWALA SANGNER JAIPUR ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2005009680) उप पंजीयक, SANGANER-I
(Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood))

Pending in Minute Book No. 2005008692 Dated : 06/09/2005

हस्ताक्षर उप पंजीयक, SANGANER-I
(2005009680)
(Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood))

-: 4 :-

अतएव यह मुखत्यारनामा आम मैंने अपनी निजी इच्छा एवं प्रशन्नता से बिना किसी व्यक्ति के दबाव या आग्रह के बिना किसी मादक वस्तु का सेवन किये स्टाम्प किता एक कीमती 500/–रूपये व तीन पेपर कुल किता चार पर बहक मुखत्यार आम लेख्य करवा दिया, और वर्णित ईबारत को भली प्रकार से पढ़कर, सुनकर, समझकर, सही स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर निम्न गवाहान् की उपस्थिति में कर दिये की प्रमाण रहे और समय पर काम आवे इति, लेख्य दिनांक 02 सितम्बर सन् 2005 ईस्वी ।

हस्ताक्षर मुखत्यार आम

हस्ताक्षर निष्पादक

1 गवाह :– बाबूलाल S/o रामकरण जाति बा० ब्रा० उम्र 48 वर्ष
निवासी ग्राम श्री रामपुरा, त० सांगानेर

2 गवाह :– प्रेमचन्द S/o रामस्वरूप जाति जाट उम्र 25 वर्ष
निवासी ग्राम ढाणीवाला, त० सांगानेर

प्रारूपकर्ता :– गोपाल चौधरी प्रलेख लेखक
तहसील सांगानेर दर्ज रजि0 कमांक 394 है ।

उप पंजीयक
सांगानेर प्रथम

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 210000
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 3700 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 100 कुल रूपये 4000
जरिये रसीद संख्या 2005010556 दिनांक 06/09/2005
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 4200
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2005009680) उप पंजीयक, SANGANER-I
(Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood))

Release in Minute Book No. 2005009047 Dated : 15/09/2005

हस्ताक्षर उप पंजीयक, SANGANER-I
(2005009680)
(Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood))

आज दिनांक 15/09/2005 को
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 21
में पृष्ठ संख्या 49 क्रम संख्या 2005000931 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 63
के पृष्ठ संख्या 364 से 371 पर
चस्पा किया गया।

(2005009680) उप पंजीयक, SANGANER-I
(Power of Attorney for Sale of immovable property (other than blood))

प्रपत्र सं.पी. 28 (ए)
(देखिए नियम 13)

(केवल नकल के उपयोग के लिए)

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम श्रीरामपुरा पटवार क्षेत्र लाखना भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान सम्वत् 20...59...से 20...62...

नकल खतौनी सं. नई	पुरानी	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम जाति तथा निवास-स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	भूदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के क्षेत्र	कृषक द्वारा सम्वत ..... के लिए: दर सहित ब्यौरा	लगान	अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टयाँ, जिसके पक्ष में भूमि अंतरिम की गई है।	सम्वत ..... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनु-प्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टयाँ, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	सम्वत ..... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित प्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टयाँ, जिसके पक्ष भूमि अंतरित की गई है	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
179	161	राज० सरकार	लल्लू पुत्र तेजा जाति बगड़ा ग्रा० सा० दे०	627	0.49	बारानी।			5.92	नाo 121 20-7-05	विक्रय पत्र द्वारा सम्पूर्ण खाता कमलेश देवी पत्नि अशोक नेहरा जाति बगड़ा ... निवासी ग्राम आशावाला तहसील सांगानेर के नाम स्वीकार हुआ। ह० पटवारी					
				128	0.30	बारानी।										
			कुल खसरा	2	0.79				5.92	नाo नाo सं 138 5-1-06	विक्रय पत्र द्वारा सम्पूर्ण खाता निर्मल यादव पत्नि ... यादव जाति ... सा० मन 2 भीजगढ विराट हवा ... के नाम स्वीकार ...					
216	203	राज० सरकार	सुवा पुत्र महोड़ू लल्लू पुत्र तेजा जाति बगड़ा ग्रा० सा० दे०	638	0.39	बारानी।			8.78	नाo 102 30-1-05	विरासत से सुवा के फौत होने पर नामान्तकरण ... लल्लू पुत्र ... के नाम रि ½ स्वीकार हुआ। शेष कायम रहा। ह० पटवारी					
				640	0.74	बारानी।										
				641	0.04	बारानी।				नाo सं 121 20-7-05	विक्रय पत्र से सम्पूर्ण खाता कमलेश देवी पत्नि अशोक नेहरा जाति बगड़ा नि० निवासी ग्राम आशावाला तहसील सांगानेर के नाम स्वीकार हुआ। ह० पटवारी					
			कुल खसरा	3	1.17				8.78	नाo सं 138 5-1-06	विक्रय पत्र द्वारा सम्पूर्ण खाता निर्मल यादव पत्नि ... यादव ... सा० मन 2 भीजगढ विराट हवा ... के नाम स्वीकार हुआ। ह० पटवारी					

सत्य-प्रतिलिपि

P35 1370 / 5-1-06
नियमानुसार जारी की गई।

पटवारी
प० ह० लाखना
तहसील सांगानेर
जिला जयपुर

प्रपत्र सं पी.28 (ए)
(देखिए नियम 13)

(केवल नकल के उपयोग के लिए)

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम श्रीरामपुरा पटवार क्षेत्र लखना भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान सम्वत् 20..59.. से 20..62..

नकल

खेवट खतौनी सं. नई	खेवट खतौनी सं. पुरानी	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम जाति तथा निवास-स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के क्षेत्र	कृषक द्वारा सम्वत .... के लिए: दर सहित ब्यौरा	रकम	अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियाँ, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	सम्वत .... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनु-प्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियाँ, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	सम्वत .... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित प्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियाँ, जिसके पक्ष भूमि अंतरित की गई है।	टिप्पणियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	24	राज० सरकार	प्यारेलाल पुत्र मन्नालाल जाति बागा ग्रा० सा० दे०	629	0.35	बारानी A			2.62	नामा० 136 5-1-06	विक्रय कृ० द्वारा खसरा 629/0.35 विक्रय कर्ता कर अजय [illegible] यादव पुत्र वेदप्रकाश यादव नि० 17-क-9 ज्योति नगर जयपुर के नाम नामा० दर्ज किया गया/दर्ज हुआ(?)					
			कुल खसरा	1	0.35				2.62							

सत्य-प्रतिलिपि

P35 1370 6-1-06

निःशुल्क जारी की गई

पटवारी
प० ह० लखना
तहसील सांगानेर
जिला जयपुर

प्रपत्र सं.पी.2
(देखिए नियम

(केवल नकल के उपयोग के लिए)

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम श्रीरामपुरा पटवार क्षेत्र लाखना भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान सम्वत् 20 63 से 20 66

खेवट खतौनी सं. नई	खेवट खतौनी सं. पुरानी	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम जाति तथा निवास-स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के क्षेत्र	कृषक द्वारा सम्वत ... के लिए: दर सहित ब्यौरा	रकम	अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टयाँ, जिसके पक्ष में भूमि अंतरिम की गई है।	सम्वत ... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनु-प्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टयाँ, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	सम्वत ... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित प्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टयाँ, जिसके पक्ष भूमि अंतरित की गई है।	टिप
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
81	179 216	राज० सरकार	निर्मल यादव पत्नि अश्विनी यादव जाति यादव सा० म न मीजगढ़ विधा हवा सड़क जयपुर	627 628 638 640 641	0.49 0.30 0.39 0.74 0.04	बारानी I बारानी I बारानी I बारानी I बारानी I			14.70	नोट नामा 190 13-9-07	90 की नामान्तरण सम्पूर्ण खातेदारी खाते की जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के नाम स्वीकार हुई।	ह०पटवारी				102 121 138
			कुल रकबा	5	1.96				14.70							

सत्य-प्रतिलिपि

P35 1971
27-9-07 — किशनाराम आदि की तरफ़

पटवारी
प० ह० लाखना
तहसील सांगानेर
जिला जयपुर

प्रपत्र सं.पी.28
(देखिए नियम

(केवल नकल के उपयोग के लिए)

जमाबन्दी (खतौनी) ग्राम श्रीरामपुरा पटवार क्षेत्र लाखना भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र वाटिका तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान सम्वत् 20 63 से 20 66

खेवट खतौनी सं. नई	खेवट खतौनी सं. पुरानी	भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम जाति तथा निवास-स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा नम्बर	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई के क्षेत्र	कृषक द्वारा सम्वत ... के लिए: दर सहित ब्यौरा	रकम	अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्योरे सहित अंतरण की विशिष्टयाँ, जिसके पक्ष में भूमि अंतरिम की गई है।	सम्वत ... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनु-प्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टयाँ, जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है	सम्वत ... के लिए: अंतरण के प्रकार सहित अनुप्रमाणित प्रमाणित नामान्तरकरण के आदेश की संख्या एवं तारीख	भूमि के ब्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टयाँ, जिसके पक्ष भूमि अंतरित की गई है।	टिप्प
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
3	29	राज० सरकार	अनूप यादव पुत्र वेदप्रकाश यादव सा० 17 क 9 ज्योतिनगर जयपुर	629	0.35	बारानी A			2.62	जौर नसि 190 13-9-07	90 बी नामा० डारा स्वस्ती जयपुर विकास प्राधीकरण जयपुर के नाम स्वीकार हुई। [signature]					138 5-
			कुल खाता	1	0.35				262							

सत्य-प्रतिलिपि

P35 1971
27-9-07

नियमानुसार जारी कि

[signature]
पटवारी
प० ह० लाखना
तहसील सांगानेर
जिला जयपुर

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding is being made and executed on this 23rd Day of September, 2022 at Jaipur

BETWEEN

1. Mr. Ajay Kumar Yadav S/o Shri Ved Prakash Yadav aged 63 Yrs R/o 4, Geejgadh Vihar, 22 Godam, Jaipur, Rajasthan – 302019 and its PAN is AACPY1138P, hereinafter referred to as the "Owner", (which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **First Part**;

AND

2. Mr. Nirmal Yadav W/o Ashwini Kumar Yadav aged 58 Yrs R/o 2, Geejgadh Vihar, 22 Godam, Jaipur, Rajasthan and its PAN is AAFPY6659N, hereinafter referred to as the "Owner", (which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **Second Part**;

ATTESTED
RAJENDRA KUMAR SONI
NOTARY (GOVT. OF INDIA)
JAIPUR (RAJ.)
26 SEP 2022

क्रमांक 7359 दिनांक 23-9-22
मुद्रांक का मूल्य 500 वास्ते
क्रेता का नाम
पिता/पति का नाम
निवास स्थान
क्रेता के हस्ताक्षर

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के अन्तर्गत स्टाम्प राशि पर प्रभारित अधिभार
1. आधारभूत आवसंरचना सुविधाओं हेतु (धारा 3-क)–10% रुपये 50
2. गाय और उसकी नस्ल के संरक्षण और संवर्धन हेतु (धारा 3-क) / प्राकृतिक आपदाओं एवं मानव निर्मित आपदाओं के निवारण हेतु 20% रुपये 100
कुल योग

राजकुमार सैनी
ला. नं. 58/97 (स्टाम्प विक्रेता)
नगर निगम (मुख्यालय) के पास
टोंक रोड, जयपुर (राज.)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

This Memorandum of Understanding is being made and executed on this 23rd Day of September, 2022 at Jaipur

BETWEEN

1. Mr. Ajay Kumar Yadav S/o Shri Ved Prakash Yadav aged 63 Yrs R/o 4, Geejgadh Vihar, 22 Godam, Jaipur, Rajasthan – 302019 and its PAN is AACPY1138P, hereinafter referred to as the "Owner", (which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **First Part**;

AND

2. Mr. Nirmal Yadav W/o Ashwini Kumar Yadav aged 58 Yrs R/o 2, Geejgadh Vihar, 22 Godam, Jaipur, Rajasthan and its PAN is AAFPY6659N, hereinafter referred to as the "Owner", (which expression shall unless repugnant to the meaning or context hereof be deemed to mean and include its representatives, successors, liquidators, assignees and nominees), of the **Second Part**;

Whereas the above referred parties Jointly owned a piece of Land "**KAPISH VIHAR**" admeasuring 16681.57 Square Meters situated at Khasra No. 627, 628, 638, 640, 641 & 629 of Village Shreeramjipura Urf Rampura, Tehsil- Sanganer, District- Jaipur, State Rajasthan. That Jaipur Development Authority, Jaipur converted the above said agriculture land to residential purpose under Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (90-B) via letter no. प्रकरण सं. – 28/2006 dated 22/05/2006 in favour of (i) Ajay Kumar Yadav and (ii) Nirmal Yadav. Layout of project (whole project) has been sanctioned by the Jaipur Development Authority, Jaipur vide MAP approval No. 1343/2 dated 08/10/2013.

NOW IT IS HEREBY AGREED AND DECLARED BY AND BETWEEN THE PARTIES HERETO AS FOLLOWS:

1. The Project "**Kapish Vihar**" situated at Khasra No. 627, 628, 638, 640, 641 & 629 of Village Shreeramjipura Urf Rampura, Tehsil- Sanganer, District- Jaipur, State Rajasthan shall be jointly developed by all the parties.
2. The Marketing and selling of the project shall be carried out by all the parties.
3. The party to the first part (Ajay Kumar Yadav) shall act as a promotor and the party to the second part shall act as the other promotor in the above referred project land "**Kapish Vihar**"
4. The party to the first part shall sign all the documents related to RERA on behalf of all the parties.
5. The designated separate bank account shall be opened in the name of the First Party (Mr. Ajay Kumar Yadav) as provided in sub-clause (D) of clause (l) of sub-section (2) of section 4 of the RERA Act, 2016.

NOTARY GOVT. OF INDIA

ATTESTED

RAJENDRA KUMAR SONI
NOTARY (GOVT. OF INDIA)
JAIPUR (RAJ.)

26 SEP 2022

6. All the receipts/losses from the booking and sale of units in the project "**Kapish Vihar**" shall be shared between the parties in the given ratio of their ownership.

S. No.	Name of Land Owner	% of Ownership
1.	Ajay Kumar Yadav	18.50%
2.	Nirmal Yadav	81.50%
Total		**100%**

7. That, if any contradiction arises or any loss or damage to any allottee arises in any manner in the future all the parties jointly take responsibility to compensate for the same.

1. Ajay Kumar Yadav
(First Party)

2. (Nirmal Yadav)
(Second Party)

Witness:-

1. Jakir
JAKIR HUSSAIN S/O LAL KHAN MOYAL HANUMAN DHIRA, SUJANGARH

2. Pooja Khanna
Pooja Khanna
24, P&T Colony Shanti Nagar
Hatwara Road Jaipur

NOTARY
Rajendra Kumar Soni
JAIPUR (RAJ.)
Regd. No. 15232
GOVT. OF INDIA

ATTESTED
RAJENDRA KUMAR SONI
NOTARY (GOVT. OF INDIA)
JAIPUR (RAJ.)

26 SEP 2022